भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2664

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 मार्च, 2017/26 फाल्गुन, 1938 (शक) को दिया गया)

<u>अदावाकृत लाभांश निधि</u>

2664. श्री गणेश सिंह:

श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 2013-14 से 31.10.2016 की अवधि के दौरान अदावाकृत लाभांश निधि के रूप में 856 करोड़ 84 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उक्त अदावाकृत लाभांश निधि के दावेदारों के बारे में सूचना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अदावाकृत लाभांश एवं भुगतान नहीं की गई राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में जमा करना अपेक्षित है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त राशि को किस शीर्ष के अंतर्गत इकट्ठा एवं प्रयोग किया गया है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ): कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 से प्रतिस्थापित किया गया है, के अनुसरण में दावा न किए गए लाभांश सहित निर्दिष्ट श्रेणियों की दावा और भुगतान न की गई राशि विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष (आईईपीएफ) में जमा करना अपेक्षित है। वर्ष 2013-14 से 31.10.2016 के दौरान दावा न

किए गए लाभांश सहित आईईपीएफ में जमा की गई राशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	लेखा शीर्ष	राशि
2013-14	007500104 कंपनियों में निवेशकों के दावा और भुगतान न किए गए लाभांश, जमाराशि तथा डिबेंचर आदि	189.96
2014-15	-वही-	261.56
2015-16	-वही-	223.42
2016-17 (31 अक्तूबर, 2016 तक)	-वही-	181.90
	कुल	**856.84**

आईईपीएफ में जमा की गई राशि भारत की संचित निधि का एक भाग है जिसमें से यह मंत्रालय कंपनी अधिनियम के अधिदेश के अनुसार विशेषकर पात्र दावों के प्रति धनराशि लौटाने और निवेशक जागरूकता के लिए अलग बजट आबंटन प्राप्त करता है। आईईपीएफ में धनराशि का अंतरण हो जाने के बाद दावेदार अपनी धनराशि वापस लेने के लिए आईईपीएफ प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। 10 मार्च, 2016 तक 114 कंपनियों के विरूद्ध 263 दावेदारों ने धनराशि की वापसी के लिए आवेदन किए हैं।

*****